न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5387/2002/चित्तोडगढ

गमेरा पिता कालू चमार निवासी नेतावगढ पाछली तहसील वजिला चित्तौडगढ

—— अपीलांट

बनाम

1—चांदमल पिता सुवालाल मेहता निवासी चित्तौडगढ
2—राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर,चित्तौडगढ
3—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौडगढ

———रेस्पोडेंटस

खण्ड पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः—
श्री पूर्णाशंकर दशोरा अधिवक्ता रैस्पोडेंटस की ओर से

निर्णय दिनांक :5 —7—2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20—6—2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या एक जो कि वादी था के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 183 आर0टी0एक्ट 1955 का वर्तमान अपीलांट 1 व तरतीबी रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष पेश किया, जिसे अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14—1—99 के द्वारा वाद को डिक्री कर दिया एवं साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 मौजूदा अपीलांट है उसे बिलानाम आराजी खसरा नम्बर 915/289 में से रकबा दर्ज करने का आदेश दे दिया। जिसके विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 20—6—02 को खारिज करदी गई जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3— अपील के विचाराधीन रहते रेस्पोडेंट के अभिभाषक की ओर से दिनांक 29—5—18 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील में अपीलांट गमेरा पुत्र कालू चमार का गत 12 वर्ष से अधिक समय पूर्व ही स्वर्गवास हो चुका है

जिसकी कोई कायम मुकाम कार्यवाही अपीलांट की ओर से नही की गयी है। इसलिए प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जावे। उक्त प्रार्थनापत्र पर बहस के वक्त अपीलांट के अभिभाषक की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के अधिवक्ता का अपीलांट से सम्पर्क कई वर्षो से नही हो पा रहा है और अपीलांट के पते पर एक रजि. पत्र लिखा गया था परन्तु ना तो अपीलांट एवं ना ही अपीलांट की ओर से कोई अन्य व्यक्ति सम्पर्क करने हेतु उपस्थि हुआ है। इसलिए सम्पर्क के अभाव में एवं अपीलांट के अधिकावक्ता को कोई सूचना नही होने से इस अपील में सूचना के अभाव में वकील अपीलांट द्वारा नो इन्सक्ट्क्शन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नही है।

4— प्रार्थनापत्र के साथ अपीलांट गमेरा को भेजे गये रजि. पत्र की रजिस्ट्री की टिकिट की फोटो प्रति व भारतीय डाक विभाग की प्राप्ति स्वीकृति की फोटो प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश की हैं।

5— उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने अपने अपने प्रार्थनापत्रों के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रकरण में निर्णय किये जाने की प्रार्थनापत्र की ।

6— चूकि अपीलांट के अभिभाषक ने स्वयं ही यह प्रमाणित किया है कि उनके द्वारा उनके मुवक्किल अपीलांट गमेरा को भेजे गये रजि. पत्र की एवज में पत्र को प्राप्त करने वाले नाम के व्यक्ति व अपीलांट गमेरा के वारिसान किसी ने उनसे सम्पर्क नही किया है। ऐसी स्थिति में
उनके द्वारा उनके मुवक्किल को सूचना दिये जाने का दायित्व पूरा कर लिया है और उनके लिए किसी प्रकार की हिदायत नही होने सेइस अपील में उनकी ओर से नो इन्सक्ट्क्शन करने के अनुशरण में अपील को खारिज किया जाना ही सी0पी0सी0 में दिये गये प्रावधानों की पालना है।

7— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अपील अपीलांट अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरज भान जैमन)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष

अपील/डिक्री/टीए/5387/2002/चित्तोडगढ

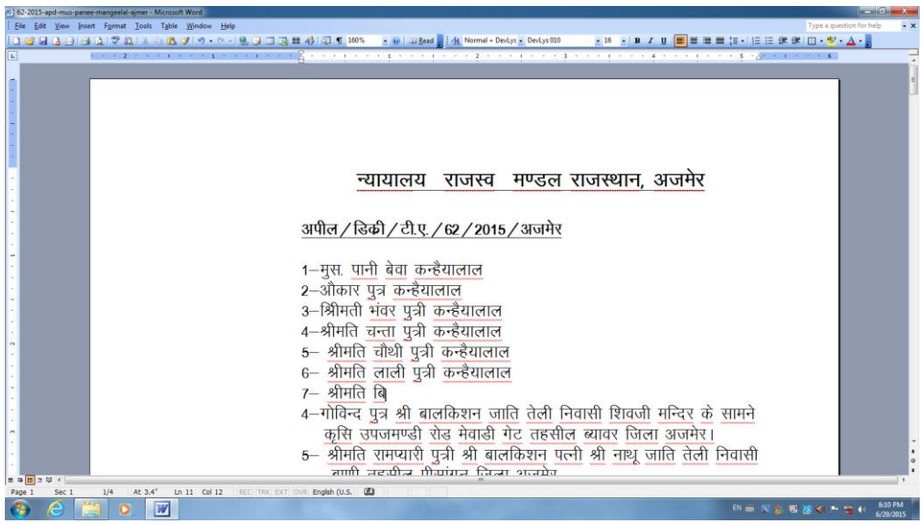

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./62/2015/अजमेर

1–मुस. पानी बेवा कन्हैयालाल
2–औकार पुत्र कन्हैयालाल
3–श्रीमती भंवर पुत्री कन्हैयालाल
4–श्रीमति चन्ता पुत्री कन्हैयालाल
5– श्रीमति चौथी पुत्री कन्हैयालाल
6– श्रीमति लाली पुत्री कन्हैयालाल
7– श्रीमति बि
4–गोविन्द पुत्र श्री बालकिशन जाति तेली निवासी शिवजी मन्दिर के सामने कूसि उपजमण्डी रोड मेवाडी गेट तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5– श्रीमति रामप्यारी पुत्री श्री बालकिशन पत्नी श्री नाथू जाति तेली निवासी

बनाम

श्री अशोक कुमार,सदस्य
श्री बी. एस. गर्ग, सदस्य

उपस्थितः–
(1)श्री शान्तीप्रकाश ओझा अधिवक्ता अपीलांट।
(2)श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(3)श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(4)श्री अशोक नाथ अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(5)श्री एस.के. सेठी अधिववक्ता रैस्पो. की ओर से

निर्णय

दिनांकः जुलाई, 2015

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–1–10 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है जिसके व्दारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–08 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 3/09 उनवानी माधु आदि बनाम गोविन्द आदि को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकरी, ब्यावर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–10–08 निरस्त किया जाकर वाद वादी संख्या 77/08 को स्वीकार किया गया है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण /रैस्पो. संख्या 1ता 4 ने एक दावा संख्या 33/07 अन्तर्गत धारा 53—183—188 आरटीए उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधो आदि ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 13 से बने हाल खसरा नम्बर 35 की 2.04.10 बीघा भूमि (अपील में विवादित आराजी कहा जावेगा) वादीगण के पूर्वज मोडालाल पुत्र सूरजमल थे, जिसकी मृत्यु के बाद यह आराजी उसके पुत्र ईश्वरचन्द को प्राप्त हुयी और ईश्वरचन्द की मृत्युके बाद विवादित आराजी उसके पुत्र छोटूलाल को प्राप्त हुई और छोटूलाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बल्देव को प्राप्त हुई। बल्देव के दो पुत्र ख्याली व चुन्नीलाल हुए। वादीगण चुन्नीलाल के उत्तराधिकारी है। ख्याली के एक पुत्र बालशिन हुआ। बालकिशन के प्रतिवादी संख्या 1से 7 उत्तराधिकारी हुए। राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम से अंकित है। प्रतिवादीगण का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा । विवादित आराजी पर हमेशा से ही कजा वादीगण का चला आ रहा है। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पूर्ण विवादित आराजी के खातेदार हो चुके है। विकल्प में निवेदन किया कि बल्देव की मृत्यु के बाद भूमि ख्याली व चुन्नीलाल को प्राप्त हुई थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड में केवल प्रतिवादीगण का नाम ही अंकित है। विकल्प के रुप में यह अनुतोश मांगा कि वादीगण 1/2 हि. जो विरासत में चुन्नीलाल को प्राप्त होनी थी ,का खातेदार काश्तकार घोसित किया जावे। विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जाकर वीदगण के नाम का अंकन किया जावे तथा 1/2 हि. का विभाजन कर कब्जा दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण /रैस्पो. अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ने दिनांक 21—7—07 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण/रैस्पे0 संख्या 1—4व्दारा प्रस्तुत दावे में दावे के आधार दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं तथा विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता बालकिशन व्दारा जरिये रजि. विक्रय पत्र क्रय की गयी है,जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। दावे के आधार दस्तावेज पेश नही होने के कारण दावा संधारण योग्य नही है, इसलिए दावा खारिज किया जावे। प्रार्थना पात्र का वादीगण/रैस्पोडेंटस ने जबाव पेश किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14—8—07 व्दारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14—8—07 के विरुद्ध वादीगण/ रैस्पो0 1ता4 ने प्रथम अपील संख्या 199/07 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16—1—08 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय व्दारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14—8—07 खारिज कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेसित कर दिया कि वाद में तनकी कायम कर दोनो पुक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। रिमाण्ड प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्राप्त होने पर दावा संख्या 17/08 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही प्रारंभ की व अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 21—10—08 व्दारा दावा खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21—10—08 के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 3/09 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधु आदि न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–5–10 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 खारिज कर दिया तथा वादी वादी स्वीकार कर वादीगण/रैस्पो. को 1/2 हि. का खातेदार काश्तकार घोसित कर दिया। तथा परीक्षण न्यायालय को विभाजन कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेसित कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–5–10 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्षीय अधिवक्तागण की अपील गुणावगुण पर बहस सुनी गयी।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–4–2009 में कोई त्रुटि नहीं पाते, लिहाजा, अपील खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–4–2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एस. गर्ग)
सदस्य

(अशोक कुमार सांवरिया)
सदस्य